रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232890
CG-DL-E-25012022-232890

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943
No. 48] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/ MAGHA 4, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2021

फा. सं. सीईए-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(7).—जबकि एसजेवीएन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कॉरपोरेट मुख्यालय, शक्ति सदन, शनान, शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171006 है, ने पारेषण योजना "एसजेवीएन लिमिटेड की 60 मेगावॉट की नैटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना से विद्युत निकासी के लिए विद्युत पारेषण योजना" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division-Part (2) I/15679/2021 दिनांक 24.05.2021 के द्वारा पारेषण योजना "एसजेवीएन लिमिटेड के अंतर्गत एसजेवीएन लिमिटेड की 60 मेगावॉट की नैटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना से विद्युत निकासी के लिए विद्युत पारेषण योजना" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए एसजेवीएन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड ने 27.07.2021 (राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, हिमाचल दस्तक, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 04.09.2021 से 10.09.2021 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड ने 08.11.2021 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की

गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "एसजेवीएन लिमिटेड के अंतर्गत एसजेवीएन लिमिटेड की 60 मेगावॉट की नैटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना से विद्युत निकासी के लिए विद्युत पारेषण योजना।" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. नैटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना के स्विचयार्ड (उत्तराखण्ड) से लेकर सनेल (हिमाचल प्रदेश) तक 220 केवी, जेबरा कन्डक्टर डबल सर्किट पारेषण लाईन ।

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

1. राज्य: उत्तराखण्ड

क्र0सं0	जिला	तहसील/ तालुका	गाँव का नाम
1.	उत्तरकाशी	मोरी	बैनोल, केवल, केवला तोक, गोस्वाल,नासना, देई, मोरी, मोरी ब्लॉक, नानई, साडा/पासा, सालरा, मोताड़, बागी, सान्द्रा, सल्ला, लूनागाड, बंगान, मोरा, ओडाटा, भासला, मान्दल, बामसू, बीजोती, ओगमेर, उगमीर, उगमेर, खुनीगाड, बुडोत्रा, भुटोत्रा, बिन्द्री, थली, सकरियाण, देवती, बुडियार, बघियार, ठडियार, सतौरी, सटूडी, भकुंवाड, भंकवाडी, रूनसुन, कुकरेडा, ऑलीखेडा, हलाई, तलवाड, कुलगाड, बेगल, बालीशेर, गोडियाना, रावणा, करोली, किरोली, गमरी, बुटाणु, भूटाणू, मैजणी, मैज्याणी, डेलून, डामटी थुनारा, कलीच, काष्ठा, सिसन, सरन, शेरू, दुनयारा, केराण, किराणू, नकोट, जीताड, बानपुर, आराकोट, वाल्टियों, ईशाली तोक, सनैल, कोटाधार, पतलासु, पितलासू, सरांश, पावली, ख्नयाटा खड्ड।
2.	देहरादून	त्यूनी	चातरा, हनोल, बल्लार, मैन्द्रथ, सतम धार, दाडमी गाड, सरनाड, मझोग, कठंग, त्युनी, त्यूनी, सैंज, सरन, काष्ठा, झिटाड।

2. राज्य: हिमाचल प्रदेश

क्र0सं0	जिला	तहसील/ तालुका	गाँव का नाम
1.	शिमला	जुब्बल/ सरस्वती नगर	पन्दरानू सालना, राजकोट, रानकोट, स्रेल, चौरी, चौरीसेर, झालटा, जकोड, डोगरी, मांगरा डोगरी, बानपुर, सनैल, सैंज, कुड्डु।

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, एसजेवीएन लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vi) एसजेवीएन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

वी.के. मिश्रा, सचिव, के.वि.प्रा.

[विज्ञापन III/4/असा./604/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 15th December, 2021

F. No. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(7).—whereas M/s SJVN Limited, the applicant with its registered office at Shakti Sadan, Corporate Head Quarter, Shanan, Shimla -171006, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "Transmission System for evacuation of Power from 60 MW Naitwar Mori Hydro Electric Project of SJVN Limited".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division-Part (2) I/15679/2021 dated 24.05.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s SJVN Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme "Transmission System for evacuation of Power from 60 MW Naitwar Mori Hydro Electric Project of SJVN Limited".

M/s SJVN Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 27.07.2021 (Rashtriya Sahara, Dainik Jagran, Himachal Dastak, Dainik Bhaskar, Hindustan Times & The Times of India) and in Weekly Gazette of India dated 04.09.2021 to 10.09.2021 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s SJVN Limited has submitted an affidavit dated 08.11.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission System for evacuation of Power from 60 MW Naitwar Mori Hydro Electric Project of SJVN Limited". The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Naitwar Mori HEP switchyard - Pooling station near Snail 220 kV D/C Line

The above overhead lines included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

1. State: - Uttarakhand

S. No.	District	Tehsil/Sub-Tehsil	Name of Villages/Towns/Cities
1.	Uttarkashi	Mori	Bainol, Keval, Kewla Tok, Goswal, Nasna, Dei, Mori, Mori Block, Nanai, Sara (Pasa), Salra, Mautar, Bagi, Sandra, Salla, Luna Gad, Bangan, Mora, Odata, Bhasla, Mandal, Bamsu, Bijoti, Ogmer, Ugmir, Ugmer, Khunigad, Budotra, Bhutotra, Bindri, Thali, Shakriyan, Devti, Budiyar, Baghiyar, Thadiyar, Satauri, Satudi, Bhankwar, Bhakwari, Runsun, Kukrera, Aulaikhera, Halai, Talwar, Kulgad, Begal, Balisher, Goriyana, Rawana, Karoli, Kiroli, Gamri, Butanu, Bhutanu, Mainjani, Maijyani, Delun, Damthi Thunara, Kalich, Kashta, Sisan, Sharan, Seru, Dunyara, Keranu, Kiranu, Nakot, Jithad, Banpur, Arakot, Valtiyon, Ishali Tok, Snail, Kotadhar, Patlasu, Pitlasu, Saras, Paoli, Khanyata Khad.
2.	Dehradun	Tyuni (Tiuni)	Chatra, Hanol, Ballar, Maindrath, Satam Dhar, Darmi Gad, Sarnad, Majog, Kathang, Tiuni, Tyuni, Sainj, Saran, Kastha, Jhitar.

2. State: - Himachal Pradesh

S. No.	District	Tehsil/Sub-Tehsil	Name of Villages/Towns/Cities
1.	Shimla	Jubbal/ Saraswati Nagar	Pandranu, Salna, Rajkot, Rankot, Snail, Chauri, Chaurisher, Jhalta, Jakhod, Dogri, Mongra Dogri, Banpur, Sanail, Sainj, Kudu.

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s SJVN Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) M/s SJVN Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

V.K. MISHRA, Secy., CEA

[ADVT. III/4/Exty./604/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.25 16:15:08 +05'30'